भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1750
दिनांक 10.12.2025 को उत्तर देने के लिए

डीएमएफ की निधि का उपयोग

1750. श्रीमती रूपकुमारी चौधरीः
डॉ. राजेश मिश्राः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) की निधि के उपयोग और राज्य सरकार तथा खनन से प्रभावित जिलों के बीच उक्त निधि को साझा करने के संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और यदि हां, तो साझा की गई निधि के अनुपात का तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
(ख) विशेषकर छत्तीसगढ़ में खनन से प्रभावित जिलों में डीएमएफ निधि के उपयोग, परियोजना संबंधी अनुमोदन, सामाजिक संपरीक्षा और ऑनलाइन निगरानी में अंतराल/कमियों को दूर करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अपनाई गई राज्य-विशिष्ट रणनीतियों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत उक्त जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और पुनर्वास के क्षेत्र में आवश्यक सुधार करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग) केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) दिशा-निर्देश, 2024 जारी किए हैं जिनमें डीएमएफ द्वारा निधियों के उपयोग के लिए दिशा-निर्देश भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार और जिलों के बीच डीएमएफ निधियों के बंटवारे का कोई प्रावधान नहीं है। पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देश, 2024 के अनुसार,

डीएमएफ से निधियों के व्यय की स्वीकृति केवल डीएमएफ की शासी परिषद के पास ही है। उपरोक्त पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देशों में बेसलाइन सर्वेक्षणों के आधार पर पांच वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना और वार्षिक योजनाएं तैयार करना अनिवार्य है, ताकि सभी प्रभावित लोगों और क्षेत्रों को व्यवस्थित और समयबद्ध कवरेज सुनिश्चित किया जा सके और डीएमएफ के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, इन दिशानिर्देशों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों का स्पष्ट सीमांकन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पेयजल आपूर्ति आदि सहित उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए डीएमएफ निधि का कम से कम 70% अनिवार्य आवंटन निर्धारित है। इन दिशानिर्देशों में राज्य स्तरीय निगरानी समिति (एसएलएमसी) की स्थापना और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा डीएमएफ खातों की लेखापरीक्षा का प्रावधान है। खान मंत्रालय ने डीएमएफ के प्रशासन को सुगम बनाने और परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय डीएमएफ पोर्टल भी शुरू किया।

******